170

संख्या– --- /XXXVI(1)/2013–273/2013

प्रेषक,

जयदेव सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

विषय– मा0 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद और लखनऊ में कार्मिक विभाग से सम्बन्धित दायर होने वाले वादों में उत्तराखण्ड प्रदेश की ओर से प्रतिवाद/पैरवी करने हेतु अधिवक्ताओं का पैनल।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय मा0 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद एवं लखनऊ में कार्मिक विभाग से सम्बन्धित दायर होने वाले वादों में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से प्रतिवाद/पैरवी/बहस करने हेतु अधिवक्ता श्री ध्रुव नारायण मिश्रा को निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के साथ पैनल अधिवक्ता बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिवक्ता को वादों में प्रतिवाद करने के फलस्वरूप फीस के रूप में ₹ 3,000/– (₹ तीन हजार मात्र) जिसमें केस की ड्राफ्टिंग का व्यय भी सम्मिलित है तथा ड्राफ्टिंग की टाईपिंग, फोटो आदि का व्यय अलग से होगा। क्लेकज की रूप में ₹ 300/– (₹ तीन सौ मात्र) देय होगें। इस प्रकार एक वाद में कुल फीस ₹ 3,000/– (₹ तीन हजार मात्र) से अधिक देय नही होगी। रिटेनरशिप फीस देय नही होगी।

3– वादों की पैरवी के सम्बन्ध में समय–समय पर न्याय विभाग से आदेश निर्गत कराये जायेगें।

भवदीय,

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 273 / XXXVI(1)/2013–273/2013 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निबन्धक, मा0 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद/लखनऊ।
2– श्री ध्रुव नारायण मिश्र, अधिवक्ता, चैम्बर सं0–190, हाईकोर्ट इलाहाबाद।
3– न्याय अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज मिश्र)
अपर सचिव

D: Bhagwan folder vividh letter.doc